न्यायालय :— संजीव पिपलादिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राघौगढ जिला गुना (म.प्र.)
(निर्णय दिनांक 05.02.2026)

Registration No. SCNIA/89/2022
Filing No. 1411/2022
CNR.No.MP0805001548/2022
Registration Date 13-10-2022

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	इन्दरसिंह पुत्र मिश्रीलाल मीना आयु 59 वर्ष, निवासी बी. 95 एन.एफ.एल. विजयपुर तहसील राघौगढ़ जिला गुना (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रूद्रेश कुमार मीना अधिवक्ता।
अभियुक्त	गांडीवधारी पुत्र स्व. जीतू महतो आयु 52 वर्ष, व्यवसाय नौकरी निवासी—बी. 234 एन.एफ.एल. विजयपुर, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अग्निवेश त्यागी अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	14.01.2022
परिवाद पत्र प्रस्तुति की तिथि	23.02.2022
अपराध विवरण की तिथि	10.08.2023
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	29.09.2023
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	05.02.2026
निर्णय की तिथि	05.02.2026
दण्डादेश यदि कोई हो, की तिथि	हॉ, 05.02.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	गांडीवधारी महतो	निरंक	निरंक	धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम	दोषसिद्ध	निर्णय के पैरा क. 44 लगायत 47 अनुसार	निरंक

परिवादी/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
प.सा.–1	इन्दरसिंह मीना	परिवाद पत्र प्रस्तुतकर्ता
ब.सा.–1	रामकली बाई	बचाव साक्षी
ब.सा.–2	के.पी. भार्गव	बचाव साक्षी

परिवाद/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची क्र. :–

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–1/प.सा.–1	मूल चेक क्र.–146549
2	प्रदर्श पी–2/प.सा.–1	चेक जमा रसीद
3	प्रदर्श पी–3/प.सा.–1	बैंक का मेमो
4	प्रदर्श पी–4/प.सा.–1	सूचना पत्र
5	प्रदर्श पी.–5/प.सा.–1	डाक रसीद
6	प्रदर्श पी.–6/प.सा.–1	प्राप्ति स्वीकृति

परिवादी इन्दरसिंह पुत्र मिश्रीलाल मीना आयु 59 वर्ष निवासी बी. 95 एन.एफ.एल. विजयपुर, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म0प्र0) के द्वारा धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रस्तुत परिवाद से उद्भूत प्रकरण।

–:: निर्णय ::–

1. अभियुक्त के विरूद्ध परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि अभियुक्त ने परिवादी **इन्दरसिंह मीना** को भारतीय स्टेट बैंक शाखा बाबड़ीखेडा एन.एफ.एल. कॉम्लेक्स जिला गुना का चेक क्रमांक 146549 राशि 5,00,000/–रुपये (पांच लाख रुपये) दिनांक 14.01.2022 का भुगतान हेतु दिया था, जो परिवादी द्वारा उसके बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर **''अपर्याप्त निधि''** की टीप के मेमो के साथ अनादरित होकर वापस प्राप्त हो गया एवं परिवादी द्वारा विहित समयावधि में मांग का लिखित सूचना पत्र दिये जाने के बाद भी आरोपी के द्वारा नियत समयावधि में परिवादी को उक्त राशि वापस नहीं की।

2. परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी बी. 95 एन.एफ.एल. विजयपुर राघौगढ़ एवं अभियुक्त बी. 234 एन.एफ.एल. विजयपुर राघौगढ़ के निवासी होकर उनके मध्य मधुर संबंध है। अभियुक्त ने परिवादी से अपने घरू कार्य के लिए 5,00,000 / —रूपये लिये थे और कहा था कि जल्दी वापिस कर देगा। जब परिवादी दिनांक 14.01.2022 को अभियुक्त के घर उक्त राशि लेने के लिए पहुंचा तो अभियुक्त ने परिवादी को अपने खाता क्रमांक 10339052279 का एक चेक क्रमांक 146549 भारतीय स्टेट बैंक शाखा बाबड़ीखेड़ा एन.एफ.एल. कॉम्पलेक्स जिला गुना म.प्र. का चेक राशि भरकर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिया और कहा कि परिवादी उक्त राशि इस चेक के माध्यम से प्राप्त कर ले। परिवादी ने उक्त चेक जब अपने बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा एन.एफ.एल. विजयपुर में दिनांक 14.01.2022 को जमा किया तो बैंक के द्वारा दिनांक 14.01.2022 को एक मेमोरेण्डम ''राशि अपर्याप्त'' होने एवं चेक जारीकर्ता के हस्ताक्षर अधूरे / अस्पष्ट / भिन्न / अपेक्षित होने की टीप के साथ अनादरित कर वापस कर दिया और परिवादी को उक्त राशि का भुगतान नहीं हो सका, जबकि अभियुक्त को भलीभॉति जानकारी थी कि उसके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, फिर भी जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से अभियुक्त ने उक्त चेक जारी किया।

3. परिवादी ने चेक अनादरित होने के बाद अभियुक्त से मौखिक रूप से कहा कि उसने जो चेक दिया है, उससे उसकी राशि का भुगतान नहीं हुआ है, वह उसके रूपये वापस लौटा दे, लेकिन अभियुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवादी द्वारा दिनांक 19.01.2022 को अपने अभिभाषक के माध्यम से एक सूचना पत्र जारी किया कि चेक की राशि पांच लाख रूपये अदा कर दे अन्यथा अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जावेगी, लेकिन सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर अभियुक्त ने उक्त राशि अदा नहीं की और न ही कोई जबाव दिया।

4. इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध कारित किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत परिवाद पत्र, परिवादी के शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का संज्ञान लिया

जाकर प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण प्रारंभ किया गया।

5. अभियुक्त को निर्णय के चरण कं 1 में वर्णित अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया एवं विचारण की मांग की गई। अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया एवं बचाव पक्ष के द्वारा यह बचाव लिया गया कि वह निर्दोष हैं उसके द्वारा कोई चेक नहीं दिया गया है एवं चेक पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य देना व्यक्त किया गया है और बचाव साक्षी के रूप में साक्षीगण रामकलीबाई (ब.सा. 01) एवं के.पी. भार्गव (अ.सा. 02) को परिक्षित कराया गया है। बचाव पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में लिखित अंतिम तर्क एवं न्यायदृष्टांत **(1) योगेंद्र प्रताप सिंह विरूद्ध सावित्री पाण्डेय व अन्य किमिनल अपील कमांक 605/2012 दिनांक 19.11.2014, (2) कन्हैयालाल व अन्य विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य किमिनल रिविजन कमांक 563/2006 दिनांक 16.03.2010, (3) स्नेह कौशिक विरूद्ध पंजाब राज्य व अन्य सी.आर.एम. –ए–1652/17 दिनांक 11.02.2020, (4) ए.एन.एस.एस. राजशेखर विरूद्ध अगस्तस जेबा अनंत किमिनल अपील कमांक 95–96/2019 दिनांक 18.01.2019, (5) कृष्णा जनार्दन भट्ट विरूद्ध दत्तात्रय जी हेगड़े किमिनल अपील कमांक 518/2006 निर्णय दिनांक 11.01.2008** एवं आरोपी के बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां प्रस्तुत की है।

6. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं :–

> **1.** क्या अभियुक्त ने विधितया प्रवर्तनीय अपने किसी ऋण या अन्य दायित्व से भागतः या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए परिवादी इन्दरसिंह मीना को भारतीय स्टेट बैंक शाखा बाबड़ीखेडा एन.एफ.एल. कॉम्लेक्स जिला गुना का चेक कमांक 146549 राशि 5,00,000/–रु. (पांच लाख रुपये) दिनांक 14.01.2022 भुगतान हेतु प्रदान किया था ?
>
> **2.** क्या परिवादी द्वारा उक्त चेक को विधिमान्य अवधि में उसके बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के बैंक से उपरोक्त चेक **"अपर्याप्त निधि"** होने की टीप के मेमों सहित अनादिरत होकर वापस प्राप्त हुआ था ?

3. क्या उपरोक्त अनादरण के पश्चात परिवादी द्वारा निर्धारित समयावधि में अभियुक्त को मांग का लिखित सूचना पत्र अभियुक्त के सही पते पर प्रेषित किया था ?

4. क्या अभियुक्त द्वारा विहित 15 दिवस की समयावधि में राशि भुगतान में असफल होने पर परिवाद विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया ?

—:: निष्कर्ष के आधार ::—

—:: विचारणीय प्रश्न कमांक—01 के संबंध में ::—

7. परिवादी इन्दरसिंह मीना (प.सा. 01) ने उसके मुख्य परीक्षण (अंतर्गत साक्ष्य शपथ—पत्र) में परिवाद पत्र में किये गये अभिवचनों के समरूप ही कथन किये है एवं दिनांक 08.05.2024 को न्यायालय में हुए अतिरिक्त मुख्यपरीक्षण में इस साक्षी ने यह कथन किये हैं कि उससे अभियुक्त ने व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए पांच लाख रूपये उधार लिये थे एवं उक्त राशि के भुगतान हेतु मॉग किये जाने पर अभियुक्त द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा बाबड़ीखेड़ा का चेक इस साक्षी के समक्ष भरकर एवं हस्ताक्षर कर दिया था, जो प्र.पी. 1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी द्वारा उक्त चेक भुगतान हेतु उसी दिनांक को बैंक में जमा किया था, जिसकी जमा पर्ची प्र.पी. 2 है। इस साक्षी को उक्त चेक अनादरित होकर बैंक से प्राप्त हुआ था, बैंक द्वारा दिया गया मेमोरेण्डम प्र.पी. 3 है। बैंक द्वारा अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि होने तथा हस्ताक्षर नहीं मिलने की टीप के साथ चेक वापस दिया गया था। इस साक्षी के अनुसार उसके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को नोटिस प्रेषित किया था, जो प्र.पी. 4 है, उक्त नोटिस रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अभियुक्त को प्रेषित किया था, डाक रसीद प्र.पी. 5 है। उक्त नोटिस अभियुक्त को प्राप्त होने के संबंध में प्राप्ति अभिस्वीकृति प्र.पी. 6 है।

8. बचाव साक्षी रामकली बाई (ब.सा.—1) ने अपने मुख्यपरीक्षण के दौरान यह कथन किये हैं कि परिवादी इन्दरसिंह उसके पति हैं। वह आरोपी गांडीवधारी को नहीं जानती है तथा उसने आरोपी को कभी भी नहीं देखा है। साक्षी के अनुसार ऐसा नहीं हुआ है कि उसके और आरोपी गांडीवधारी के मध्य कभी पैसों को लेकर मुकदमा चला हो, परंतु आगे साक्षी ने इस बात को स्वीकार

किया है कि उसके और आरोपी गांडीवधारी के मध्य न्यायालय में प्रकरण क्रमांक एस.सी.एन.आई.ए./81/2019 का विचारण हुआ था। उक्त प्रकरण के आदेश पत्रिका दिनांक 11.09.2021 की प्रमाणित प्र.डी. 1 है। उक्त प्रकरण में प्रस्तुत किये गये राजीनामा आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति प्र.डी. 2 है एवं परिवाद पत्र व शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति क्रमशः प्र.डी. 3 एवं प्र.डी. 4 है। साक्षी के अनुसार उसका आरोपी गांडीवधारी से कभी भी कोई पैसों का लेन–देन नहीं हुआ है। उसे जानकारी नहीं है कि उसके पति पैसों का लेन–देन करते हैं या नहीं, साक्षी ने स्वतः कहा कि आरोपी गांडीवधारी ने उसके पति से पैसे लिये थे। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी ने उसके पति से कितने पैसे लिये थे।

9. बचाव साक्षी के.पी. भार्गव (ब.सा.–2) ने अपने मुख्यपरीक्षण के दौरान यह कथन किये हैं कि वह परिवादी इन्दरसिंह को जानता है तथा वह आरोपी गांडीवधारी को भी वर्ष 2014 से जानता है तथा वह परिवादी इन्दरसिंह की पत्नी रामकलीबाई को भी जानता है। साक्षी के अनुसार परिवादी इन्दरसिंह एवं आरोपी गांडीवधारी के मध्य वर्ष 2019 में उसके सामने पांच लाख रूपये का लेन–देन हुआ था। परिवादी इन्दरसिंह से आरोपी गांडीवधारी ने उसके सामने पांच लाख रूपये उधार लिये थे और चैक दिया था तथा उसके सामने ब्याज के संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसे जानकारी नहीं है कि रामकलीबाई ने आरोपी गांडीवधारी के विरुद्ध दो लाख रूपये के चैक के संबंध में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था या नहीं। वह उक्त चैक के मामले में राजीनामा के समय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था। साक्षी के अनुसार परिवादी इन्दरसिंह एवं आरोपी गांडीवधारी के मध्य वर्ष 2019 से लेकर उसके कथन दिनांक तक लेन–देन चला है। साक्षी के अनुसार उसने परिवादी इन्दरसिंह एवं आरोपी गांडीवधारी से बोला था कि वे लोग बैठकर हिसाब–किताब कर लें, किन्तु उन्होंने हिसाब–किताब किया है या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

10. प्रकरण में सर्वप्रथम यह तथ्य अवलोकनीय है कि अभियुक्त परीक्षण के दौरान प्रश्न क्रमांक 17 के उत्तर में आरोपी ने यह कहा है कि वह निर्दोष है, उसने कोई चेक नहीं दिया है तथा उसके हस्ताक्षर नहीं है। अतः यह दर्शित है कि

अभियुक्त ने प्रश्नगत चेक स्वयं के द्वारा नहीं दिये जाने का बचाव लिया है, परंतु प्रकरण में यह तथ्य अवलोकनीय है कि स्वयं बचाव पक्ष की ओर से परिवादी को उसके परीक्षण की कंडिका 14 में यह सुझाव दिया गया है कि आरोपी एवं परिवादी के मध्य वर्ष 2019 से लेनदेन चल रहा है, जिसे कि परिवादी ने स्वीकार भी किया है। इसी कंडिका में परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 20.03.2020 को 48,000/–रुपये आरोपी से चेक क्रमांक 146550 के माध्यम से प्राप्त किये थे। आगे परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 15.06.2020 को चेक क्रमांक 436402 के माध्यम से उसने आरोपी से 1,00,000/–रुपये (एक लाख रुपये) प्राप्त किये थे। परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 13.10.2020 को चेक क्रमांक 436412 के माध्यम से उसने आरोपी से एक लाख रुपये प्राप्त किये थे।

11. स्वयं बचाव पक्ष की ओर से दिये गये उक्त सुझावों से यह स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य चेक के माध्यम से लगातार रुपयों का लेनदेन होने के तथ्य को स्वयं बचाव पक्ष ही अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहा है। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नगत चेक का क्रमांक 146549 है एवं परिवादी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के अनुसार उसने चेक क्रमांक 146550 के माध्यम से 48,000/–रुपये आरोपी से प्राप्त किये थे। ऐसी दशा में यह सद्भाविक प्रतीत होता है कि चेक क्रमांक 146550 के पूर्व के सरल क्रमांक 146549 का चेक भी आरोपी के द्वारा परिवादी को दिया गया था। चेक क्रमांक 146549 के गुम हो जाने या चोरी हो जाने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई कथन नहीं किये गये हैं और न ही अभिलेख पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, जिनसे यह दर्शित हो कि प्रश्नगत चेक परिवादी की चेक बुक से गुम हो गया था या चोरी हो गया था।

12. बचाव पक्ष ने अपने लिखित तर्क में यह कथन किये हैं कि परिवादी एवं आरोपी के मध्य वर्ष 2019 में 5 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था, उसी संव्यवहार के दौरान परिवादी ने आरोपी से अनेक कोरे चेक ले लिये थे, जिनका प्रयोग परिवादी के द्वारा किया जाकर वर्तमान परिवाद भी झूठा प्रस्तुत किया है, जबकि परिवादी की पत्नी रामकली बाई ने आरोपी के विरूद्ध दो लाख

रुपये के चेक का एक परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 11.09.2021 को राजीनामा करने के बाद परिवादी ने अलग–अलग चेकों के माध्यम से 2,48,000/–रुपये (दो लाख अड़तालीस हजार रुपये) प्राप्त भी किये हैं एवं उसी प्रकरण के दौरान कुल 4,48,000/–रुपये (चार लाख अड़तालीस हजार रुपये) परिवादी के द्वारा प्राप्त किये गये हैं। अतः यह स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा आरोपी से 5 लाख रुपये के बदले 4,48,000/–रुपये (चार लाख अड़तालीस हजार रुपये) प्राप्त कर लिये हैं, जिस संबंध में परिवादी के बैंक स्टेटमेंट की प्रति भी अंतिम तर्क के साथ प्रस्तुत की गई है, जबकि परिवादी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमांक 12 में यह स्वीकार किया है कि उसने 5 लाख रुपये बैंक से निकालने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं 5 लाख रुपये के लेनदेन के संबंध में कोई लिखापढ़ी भी नहीं की है। परिवादी की उपरोक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि परिवादी के द्वारा आरोपी की ओर से दिये गये कोरे चेकों का दुरुपयोग किया गया है।

13. बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि स्वयं बचाव पक्ष की ओर से साक्षीगण रामकली बाई (ब.सा.–1) एवं के.पी. भार्गव (ब.सा.–2) की जो साक्ष्य करवाई गई है, उसमें बचाव साक्षी रामकली बाई (ब.सा.–1) ने अपने मुख्यपरीक्षण के दौरान ही स्वतः में यह कथन किये हैं कि आरोपी गांडीवधारी ने उसके पति से रुपये लिये थे। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान कंडिका 2 में इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी गांडीवधारी ने उसके पति से लगभग 5 लाख रुपये उधार लिये हैं। कंडिका 3 में भी इस साक्षी ने यह कथन किये हैं कि आरोपी ने पहले उससे रुपये उधार लिये थे जो कि उसे लौटा दिये थे और बाद में उसके पति से रुपये उधार लिये थे। बचाव साक्षी के.पी. भार्गव (ब.सा.–2) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण के दौरान ही यह कथन किये हैं कि परिवादी इंदर सिंह से आरोपी गांडीवधारी ने उसके समक्ष 5 लाख रुपये उधार दिये थे और चेक दिया था। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में भी इस बात को स्वीकार किया है कि परिवादी इंदर सिंह ने आरोपी को 5 लाख रुपये उसके सामने दिये थे तथा आरोपी ने उक्त रुपये परिवादी को वापस नहीं दिये हैं, बल्कि आरोपी ने परिवादी को एस.बी.आई. बैंक की शाखा बाबड़ीखेड़ा विजयपुर का एक चेक दिया

था।

14. अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत चेक आरोपी के द्वारा परिवादी को दिया गया था एवं इस संबधं में उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद नहीं है। इस संबंध मे परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 118 एवं 139 अवलोकनीय है। धारा 118 के अंतर्गत **जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जावे परक्राम्य लिखत के प्रतिफल, तारीख, प्रतिग्रहण, अंतरण, पृष्ठांकन, स्टॉम्प, धारक के सम्यक अनुक्रम धारक होने के बारे मे उचित/सही होने की उपधारणा की जावेगी।**

15. इसी प्रकार परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अनुसार **जब तक की अन्यथा साबित न कर दिया जावे यह उपधारणा की जावेगी कि चेक के धारक ने प्रश्नगत चेक उक्त अधिनियम की धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (ग) के अनुसार न्यायालय विशिष्ट मामले के तथ्यो के संबंध मे प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट के कारोबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान मे रखते हुए यह उपधारित कर सकेगा कि कोई प्रतिग्रहित या पृष्ठांकित विनिमय पत्र समुचित प्रतिफल के लिए प्रतिग्रहित या पृष्ठांकित किया गया था।**

16. उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि धारा 118 एव धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा खंडनीय उपधारणा है। जिसके खंडन का भार अभियुक्त पर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **"एम अब्बास हाजी विरूद्ध टी एन चन्ना केशवा क्रिमिनल अपील नंबर 664/2012" आदेश दिनांक 19 सितम्बर 2019** में यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त को स्पष्ट रूप से यह बताना आवश्यक है कि प्रश्नगत चेक परिवादी के पास कैसे आया।

17. अभियुक्त द्वारा मुख्य रूप से प्रश्नगत चेक परिवादी को नहीं दिये जाने का बचाव लिया है, परंतु उभयपक्ष के मध्य अक्सर रुपयों का लेनदेन होना प्रकरण में निर्विवादित है। प्रश्नगत चेक का जो क्रमांक है, उसी क्रमांक के आगे के चेक क्रमांक 146550 के माध्यम से भी परिवादी ने आरोपी से रुपये प्राप्त किये हैं।

स्वयं बचाव पक्ष की ओर से जिन साक्षीगण को बचाव साक्षी के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, उन्होंने भी उभयपक्ष के मध्य लेनदेन होने के कथन न्यायालय में किये हैं एवं स्वयं बचाव साक्षी के.पी. भार्गव (बा.सा.–2) के अनुसार भी आरोपी ने परिवादी को 5,00,000/–रुपये के बदले एस.बी.आई. बैंक शाखा बाबड़ीखेड़ा, एन.एफ.एल. विजयपुर का एक चेक दिया था।

18. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत लिखित अंतिम तर्क में बचाव पक्ष ने यह लेख किया है कि परिवादी ने अपने अति. मुख्यपरीक्षण में दिनांक 08.05.2024 को न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि प्रदर्श पी–1 के चेक के ए से ए भाग पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत चेक पर स्वयं परिवादी ने ही अभियुक्त के हस्ताक्षर बनाये हैं, इसी कारण संबंधित बैंक के द्वारा भी प्रश्नगत चेक के संबंध में जो प्रदर्श पी–3 का रिटर्न मेमो दिया है, उसमें राशि अपर्याप्त होना एवं जारीकर्ता के हस्ताक्षर भिन्न होना लेख किया गया है। अर्थात् यह स्पष्ट है कि परिवादी के पास अभियुक्त के चेक पूर्व से ही रखे हुए थे, जिन पर फर्जी हस्ताक्षर कर परिवादी ने यह प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

19. बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि प्रकरण में यह तथ्य अवलोकनीय है कि वर्तमान प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से दो साक्षीगण की साक्ष्य बचाव साक्षी के रूप में करवायी गई है, परंतु बचाव पक्ष ने अवसर होने के बाद भी हस्तलिपि विशेषज्ञ की साक्ष्य प्रकरण में नहीं करवायी है और न ही बचाव पक्ष की ओर से ऐसा कोई आवेदन प्रकरण के लंबित रहने के दौरान प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह दर्शित हो कि बचाव पक्ष प्रश्नगत चेक के ए से ए भाग पर जो हस्ताक्षर हैं, उनका परीक्षण कराना चाहता है। प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अभियुक्त परीक्षण पर आरोपी के जो हस्ताक्षर हैं, वैसे ही हस्ताक्षर प्रश्नगत चेक प्रदर्श पी–1 के ए से ए भाग पर भी हैं जो कि प्रथमदृष्टया आरोपी के होना दर्शित हो रहे हैं। बचाव पक्ष हस्ताक्षर की भिन्नता के संबंध में बैंक कर्मचारी अथवा हस्तलिपि विशेषज्ञ की साक्ष्य कराने के लिए स्वतंत्र था, परंतु उक्त अवसर का उपयोग बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है साथ ही अभिलेख पर ऐसा भी

कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे कि यह दर्शित हो कि प्रश्नगत चेक गुम हो गया था अथवा परिवादी के द्वारा चोरी कर लिया गया था और न ही आरोपी के द्वारा ऐसा कोई बचाव लिया गया है। ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रश्नगत चेक के ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

20. यदि तर्क के रूप में यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को 5 लाख रुपये के संव्यवहार के दौरान वर्ष 2019 में बतौर प्रतिभूति कोरे चेक दिये थे, तो भी न्यायदृष्टांत **''सुनीता दुबे विरूद्ध हुकुम सिंह 2015 (1) एमपीएलजे 574''** के अनुसार जब चेक जारी करने वाला चेक को कोरा या आंशिक रूप से भरा हुआ उसके हस्ताक्षर करके जारी करता है, तब वह धारा 20 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत चेक के धारक को यह अधिकार देता है कि वह लिखत को पूर्ण कर लेवे। कोरे या हस्ताक्षरित चेक जारी करने का प्रभाव इतना विस्तृत होता है कि वह चेक के धारक को संविदा के अधीन उपलब्ध राशि की सीमा तक कोई भी राशि भर लेने का प्राधिकार देता है। उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में अभियुक्त पक्ष को उपरोक्त तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता हैं कि अभियुक्त के द्वारा परिवादी को बतौर प्रतिभूति कोरे चेक वर्ष 2019 में दिये थे। उपरोक्त के अलावा प्रदर्श पी—1 के चेक के ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीं होने संबंधित बचाव को भी बचाव पक्ष प्रमाणित करने में असफल रहा है। वर्तमान प्रकरण में कोरे चेक परिवादी को दिये जाने का बचाव, बचाव पक्ष की ओर से लिया गया है। न्यायालय द्वारा मात्र यह तथ्य देखा जाना है कि क्या उपरोक्त प्रश्नगत प्रदर्श पी—1 का चेक अभियुक्त के किसी ऋण या अन्य दायित्व से भागतः या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए परिवादी को दिया गया था।

21. वर्तमान प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि वर्ष 2019 से ही उभयपक्ष के मध्य लेनदेन चल रहा है एवं स्वयं बचाव पक्ष की ओर से जिन साक्षीगण की साक्ष्य न्यायालय में करवायी गई है, उनके द्वारा भी यह कथन किये गये हैं कि उभयपक्ष के मध्य वर्ष 2019 से लगातार रुपयों का संव्यवहार चल रहा है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **''M.S. Narayana**

menon @ mani Vs State of Kerala & Another, AIR 2006 SC 3366" के प्रकरण में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि "security" में जारी किये गये चेक के संबंध में धारा 138 का अपराध निर्मित नहीं होता। इस प्रकरण में "security" को भी स्पष्ट वर्णित किया गया है। जिस बावत् उक्त न्याय दृष्टांत के संक्षिप्त अंश यथावत उद्यत किये जा रहे हैं– The Appellant clearly said that nothing is due and the cheque was issued by way of security. The said defence has been accepted as probable. If the defence is acceptable as probable the cheque therefore cannot be held to have been issued in discharge of the debt as, for example, if a cheque is issued for security or for any other purpose the same would not come within purview of Section 138 of the Act.

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के अनुसार यह देखना आवश्यक है कि विवादित संव्यवहार के दौरान जब अभियुक्त के द्वारा परिवादी को चेक प्रदान किया गया, तब क्या अभियुक्त के उपर कोई राशि की अदायगी का दायित्व शेष था या नहीं ? यहां पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि विधि में गारण्टी एवं सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण अंतर है, "security" उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अनुसार किसी संव्यवहार से दायित्व उत्पन्न होने के पहले जारी की जाने वाली लिखत होती है, जबकि गारण्टी को संविदा अधिनियम के अनुसार मूल ऋण की अदायगी को सुनिश्चित करने के आशय से जारी की गई लिखत होती है, संविदा अधिनियम के तहत गारण्टी विधिक दायित्व मानी गई है।

23. उपरोक्त संबंध में परिवादी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त को राशि 5,00,000/–रूपये (पांच लाख रूपये) की घरेलू कार्य के लिए आवश्यकता होने से उपरोक्त राशि परिवादी के द्वारा अभियुक्त को प्रदान की गई थी। अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया एवं यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा कोई चेक नहीं दिया गया था एवं उसने हस्ताक्षर भी नहीं किये हैं, परंतु निर्णय की उपरी

कंडिकाओं में यह तथ्य प्रमाणित हो गया है कि आरोपी के द्वारा परिवादी को चेक दिया गया था। जहां तक प्रश्नगत चेक के ए से ए भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीं होने से संबंधित बचाव की बात है तो यह तर्क भी बचाव पक्ष प्रमाणित करने में असफल रहा है। इससे प्रथम दृष्ट्या ही यह उपधारणा की जा सकती है कि प्रश्नगत चेक अभियुक्त के द्वारा परिवादी को दिये जाते समय अभियुक्त के उपर कोई विधिक ऋण अथवा दायित्व था।

24. अभियुक्त द्वारा परिवादी को चेक प्रदान किये जाने की दिनांक को अभियुक्त के उपर ऋण अथवा अन्य दायित्व होना निर्विवादित है एवं उपरोक्त ऋण अथवा अन्य दायित्व से भागतः या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए ही अभियुक्त के द्वारा परिवादी को चेक प्रदान किया गया था। जहां तक वर्ष 2019 में कुछ कोरे चेक प्रदान करने का प्रश्न है तो भी न्यायदृष्टांत **''सुनीता दुबे विरूद्ध हुकुम सिंह 2015 (1) एमपीएलजे 574''** में प्रतिपादित सिद्धांत एवं धारा 20 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत परिवादी के पक्ष में ही उपधारणा की जावेगी।

25. बचाव पक्ष के अनुसार वर्ष 2019 में उभयपक्ष के मध्य 5 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था, जबकि स्वयं बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण ने अपने मुख्यपरीक्षण के दौरान ही यह कथन किये हैं कि उभयपक्ष के मध्य वर्ष 2019 से ही लेनदेन चल रहा है एवं उक्त पांच लाख रुपये की राशि वापस किये जाने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत एवं प्रदर्शित नहीं करवाये हैं। यद्यपि लिखित अंतिम तर्क के साथ बचाव पक्ष ने आरोपी के बैंक स्टेटमेंट की प्रति प्रस्तुत की है, परंतु न तो उपरोक्त दस्तावेज प्रदर्शित करवाया गया है और न ही प्रश्नगत चेक दिनांक 14.01.2022 के बाद का कोई इंद्राज उक्त स्टेटमेंट में है। ऐसी दशा में उपरोक्त ऋण अथवा दायित्व समाप्त हो जाने के तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त के उपर आ जाता है जबकि परिवादी ने अभियुक्त के द्वारा हस्ताक्षरित चेक अभिलेख पर प्रस्तुत किया है।

26. बचाव पक्ष का मुख्य रूप से तर्क यह रहा है कि वर्ष 2019 में आरोपी एवं परिवादी के मध्य पांच लाख रुपये का लेनदेन हुआ था एवं परिवादी ने

आरोपी के अनेक कोरे चेक स्वयं के पास रख लिए थे, उन्हीं चेकों में से परिवादी की पत्नी रामकली बाई ने दो लाख रुपये के चेक के संबंध में एक परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 11.09.2021 को आरोपी एवं परिवादी की पत्नी रामकली बाई के मध्य राजीनामा हो गया था, उसी दौरान परिवादी ने भिन्न चेकों के माध्यम से पृथक से 2,48,000/—रुपये भी प्राप्त कर लिये थे तथा उन्हीं चेकों में से बचे हुए प्रश्नगत चेक के माध्यम से वर्तमान परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

27. बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि जब वर्ष 2019 में उभयपक्ष के मध्य लेनदेन हुआ था एवं परिवादी के द्वारा आरोपी के अनेक चेक स्वयं के पास रख लिये गये थे एवं उन्हीं चेकों में से एक चेक का दुरूपयोग करते हुए परिवादी की पत्नी रामकली बाई ने दो लाख रुपये की राशि के लिए आरोपी के विरूद्ध परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें 11.09.2021 को राजीनामा भी हो गया था तब यह बात आरोपी को समझ क्यों नहीं आई कि परिवादी के द्वारा शेष बचे चेकों का भी पुनः दुरूपयोग किया जा सकता है। एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति यदि उपरोक्त परिस्थितियों में राजीनामा करता तो निश्चित रूप से वह वर्ष 2019 में अपने द्वारा किसी को दिये गये सारे चेक पहले वापस लेता फिर प्रकरण में राजीनामा करता। वर्तमान प्रकरण में यदि परिवादी के द्वारा आरोपी से वर्ष 2019 में लिये गये चेक आरोपी को वापस नहीं किये गये तो आरोपी के द्वारा उक्त चेक प्राप्ति के लिए क्या कोई कार्यवाही की गई अथवा बैंक में चेक की राशि को रोके जाने के संबंध में कोई लिखित आवेदन दिया गया, ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है। वर्ष 2019 में दिये गये कोरे चेकों का यदि परिवादी ने वर्ष 2022 में दुरूपयोग कर वर्तमान परिवाद प्रस्तुत किया है तो वर्ष 2019 से 2022 के मध्य लगभग 4 वर्षों तक आरोपी ने अपने कोरे चेक प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किया, ऐसा भी कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

28. अभियुक्त पक्ष द्वारा बचाव तर्क को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। परिवादी से प्रतिपरीक्षण के दौरान जो प्रश्न पूछे गये है उनके उत्तरों से अभियुक्त

के पक्ष में उपधारणा किये जाने का कोई ठोस आधार प्रकट नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त परिवादी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई सुझाव या स्वीकारोक्ति नहीं है जो परिवादी के पक्ष में की जाने वाली उपधारणाओं का खंडन करने के लिए पर्याप्त हो।

29. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट है कि अभियुक्त धारा 118 एवं 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की उपधारणाओं को खंडित करने में **असफल** रहा है। ऐसी स्थिति मे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने विधितया प्रवर्तनीय अपने किसी ऋण या अन्य दायित्व से भागतः या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए परिवादी इन्दरसिंह मीना को भारतीय स्टेट बैंक शाखा बाबड़ीखेडा एन.एफ.एल. कॉम्लेक्स जिला गुना का चेक कमांक 146549 राशि 5,00,000/–रु. (पांच लाख रुपये) दिनांक 14.01.2022 भुगतान हेतु प्रदान किया था।

विचारणीय प्रश्न कमांक–02 के संबंध में

30. अब न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या परिवादी द्वारा उक्त चेक को विधिमान्य अवधि में उसके बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के बैंक से उपरोक्त चेक **"अपर्याप्त निधि"** होने की टीप के मेमों सहित अनादिरत होकर वापस प्राप्त हुआ था ? उपरोक्त संबंध में सर्वप्रथम यह तथ्य अवलोकनीय है कि परिवादी इंदर सिंह (प.सा.–1) ने अपने मुख्यपरीक्षण के शपथ पत्र की कंडिका 04 में यह कथन किये हैं कि उसने अभियुक्त द्वारा दिये गये चेक दिनांक 14.01.2022 को अपने खाते की बैंक में जमा किया, तो बैंक ने दिनांक 14.01.2022 को आरोपी के खाते में अपर्याप्त राशि एवं चेक जारीकर्ता के हस्ताक्षर अधूरे/अस्पष्ट /भिन्न/अपेक्षित है, के मैमो के साथ उपरोक्त चेक वापिस कर दिया। प्रश्नगत चेक प्रदर्श पी–01 में दिनांक 14.01.2022 अंकित है एवं प्रदर्श पी.–3 के रिटर्न मैमों में दिनांक 14.01.2022 अंकित है, जिससे यह स्पष्ट दर्शित है कि चेक जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर उपरोक्त चेक बैंक में पेश कर दिया गया था। चेक अनादरण होने के संबंध मे बैंक द्वारा जारी अनादरण मैंमो प्र0पी0–03 में अनादरण का कारण **अपर्याप्त राशि एवं चेक जारीकर्ता के हस्ताक्षर अधूरे/अस्पष्ट**

/भिन्न/अपेक्षित है, होना अंकित है। अनादरण मेमो के आधार पर प्र0पी0–01 का चेक **खाते में राशि अपर्याप्त** होने के कारण अनादरित होना स्थापित होता है।

31. परिवादी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई सुझाव या स्वीकारोक्ति नहीं है जो कि उपरोक्त संबंध में परिवादी के साक्ष्य के खंडन करने के लिए पर्याप्त हो। यद्यपि यह जरूर है कि लिखित अंतिम तर्क में बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि प्रश्नगत चेक के ए से ए भाग पर परिवादी ने ही आरोपी के फर्जी हस्ताक्षर कर दिये थे, परंतु बचाव पक्ष ने उपरोक्त संबंध में न तो हस्तलिपि विशेषज्ञ की साक्ष्य करवायी है और न ही बैंक के किसी कर्मचारी की साक्ष्य करवायी है, वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा जितने भी दस्तावेजों एवं कार्यवाहियों पर अपने हस्ताक्षर किये हैं, वह प्रदर्श पी–1 के चेक के ए से ए भाग के हस्ताक्षरों की तरह ही दर्शित हो रहे हैं। ऐसी दशा में फर्जी हस्ताक्षर का बचाव प्रमाणित करने में बचाव पक्ष असफल रहा है। उपरोक्त के अलावा प्रदर्श पी–3 के मेमो में खाते में अपर्याप्त राशि होने का भी कारण लेख है। अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत चेक को विधिमान्यता अवधि में उसके बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के **खाते में राशि अपर्याप्त** होने की टीप के साथ प्रश्नगत प्रदर्श पी–01 का चेक अनादृत होकर वापस प्राप्त हुआ था।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–03 व 04 के संबंध में

32. उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में आई साक्ष्य परस्पर अंर्तमिश्रित होने से एवं सुविधा संक्षिप्तता की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

33. न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त अनादरण के पश्चात परिवादी द्वारा निर्धारित समयावधि में अभियुक्त को मांग का लिखित सूचना पत्र अभियुक्त के सही पते पर प्रेषित किया था एवं क्या अभियुक्त द्वारा विहित 15 दिवस की समयावधि में राशि भुगतान में असफल होने पर परिवाद विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया? उपरोक्त संबंध में परिवादी इंदर सिंह (प0सा0–01) ने अपने परिवाद पत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र में यह कथन किये है कि

प्रश्नगत राशि उसे प्राप्त नहीं होने पर उसके द्वारा दिनांक 19.01.2022 को अपने अभिभाषक के माध्यम से आरोपी के पते पर मांग का सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। उपरोक्त संबंध में प्रदर्श पी–4 के सूचना पत्र पर दिनांक 19.01.2022 अंकित है प्रदर्श पी–5 की डाक रसीद पर भी दिनांक 19.01.2022 अंकित है एवं प्रदर्श पी–06 की प्राप्ति अभिस्वीकृति पर अस्पष्ट वर्ष अंकित है परन्तु दिनांक 27 एवं महीना 1 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिससे यह दर्शित है कि मांग का सूचना पत्र आरोपी को दिनांक 27.01.2022 को प्राप्त हो गया था। उपरोक्त संबंध में यद्यपि यह जरूर है कि बचाव पक्ष ने अपने लिखित अंतिम तर्क में यह कहा है कि प्रदर्श पी–4, 5 एवं 6 के क्रमशः नोटिस, रसीद एवं प्राप्ति अभिस्वीकृति पर जो तारीख एवं अभियुक्त का पता अंकित है, उससे यह स्पष्ट ही नहीं है कि सूचना पत्र अभियुक्त को कब प्राप्त हुआ एवं यह भी स्पष्ट नहीं है कि आरोपी को उपरोक्त नोटिस प्राप्त हो गया था।

34. बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में जो प्रदर्श पी–5 की डाक रसीद है, उस पर दिनांक 19.01.2022 अंकित है एवं प्रदर्श पी–06 की प्राप्ति अभिस्वीकृति पर अस्पष्ट वर्ष अंकित है परन्तु दिनांक 27 एवं महीना 1 स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिससे यह दर्शित है कि मांग का सूचना पत्र आरोपी को दिनांक 27.01.2022 को प्राप्त हो गया था। यद्यपि बचाव पक्ष ने अपने अंतिम तर्क में यह भी लेख किया है कि दिनांक 27.01.2022 को नोटिस प्राप्त होने के बाद 15 दिवस का समय छोड़कर परिवाद पत्र प्रस्तुत किया जाना था, परंतु उसके पूर्व ही परिवाद पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, जिस कारण परिवाद पत्र निरस्त किये जाने योग्य है, परंतु बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि सूचना पत्र प्राप्ति दिनांक 27.01.2022 के 15 दिवस पश्चात् ही दिनांक 23.02.2022 को वर्तमान परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

35. प्रकरण में एक तथ्य यह भी अवलोकनीय है कि अभियुक्त के द्वारा अपनी प्रथम उपस्थिति दिनांक 09.05.2023 के बाद से कभी भी यह बचाव प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्त को वर्तमान प्रकरण में मांग का सूचना पत्र प्राप्त

नहीं हुआ था, यद्यपि आरोपी परीक्षण के प्रश्न 08 के उत्तर में आरोपी ने यह कहा है कि ''गलत है'' परंतु उपरोक्त संबंध में कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वर्तमान प्रकरण में आरोपी दिनांक 09.05. 2023 को उपस्थित हो गया था, जिससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण की संपूर्ण जानकारी आरोपी को है। उपरोक्त संबंध में प्रदर्श पी–04 एवं प्रदर्श पी–05 पर दिनांक 19.01.2022 अंकित है। प्रदर्श पी. 06 की प्राप्ति अभिस्वीकृति पर डाक विभाग की सील में यद्यपि वर्ष अस्पष्ट है परन्तु तारीख एवं महीना स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

36. प्रकरण के परिशीलन से यह भी प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को प्रेषित विधिक मांग के सूचनापत्र प्रपी–04 में अभियुक्त का पता गांडीवधारी पुत्र स्व. जीतू महतो आयु 52 वर्ष, व्यवसाय नौकरी निवासी–बी. 234 एन.एफ.एल. विजयपुर, तहसील राघौगढ़, जिला गुना (म0प्र0) अंकित है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में अभियुक्त का पता समान होना दर्शित होता है। अभियुक्त को परिवाद पत्र में उल्लेखित पते पर प्रकरण में समन, जमानतीय वारंट एवं गिरफतारी वारंट तामील होना दर्शित होता है। उपरोक्त के अलावा प्रदर्श पी–04 एवं प्रदर्श पी–05 की डाक रसीदों में भी वही पता लेख है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **विजय कुमार वि0 पंकज शर्मा, 2015 (2) जेएलजे 289** अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां अभियुक्त प्रकरण की आदेशिकाओं की तामीली उपरांत न्यायालय में उपस्थित रहा है। वहां अभियुक्त पर मांग सूचनापत्र की आनवयिक तामीली मानी जा सकती है।

37. प्रकरण मे प्रश्नगत प्रदर्श पी–01 का चेक कमांक–146549 दिनांक 14.01.2022 को जारी किया गया था, जिसे परिवादी द्वारा अपने बैंक खाते में प्रस्तुत किये जाने पर प्रदर्श पी–03 के रिटर्न मेमों द्वारा वापस दिनांक 14.01.2022 को प्राप्त होने पर परिवादी द्वारा 30 दिन के भीतर दिनांक 19.01.2022 को प्रदर्श पी–04 का नोटिस प्रेषित किया था जो कि प्रदर्श पी–6 की प्राप्ति अभिस्वीकृति अनुसार दिनांक 27.01.2022 को आरोपी को प्राप्त हो गया था। सूचना पत्र प्राप्त होने से 15 दिवस के भीतर आरोपी के द्वारा प्रश्नगत राशि नहीं लौटाई जाने पर

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 142 के खण्ड ख में वर्णित एक माह की समय सीमा के भीतर वर्तमान परिवाद दिनांक 23.02.2022 को प्रस्तुत किया जाना संपूर्ण अभिलेख से दर्शित है।

38. इस प्रकार परिवादी द्वारा जारी चेक दिनांक 14.01.2022 के आधार पर चेक प्रस्तुत किये जाने की अवधि की गणना साधारण खंड अधिनियम की धारा 9 के अधीन रहते हुए करने पर चेक तीन माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। बैंक द्वारा दिये गये रिटर्न मेमों प्रदर्श पी–03 मे चेक वापसी का कारण **खाते में राशि अपर्याप्त** होना दर्शित किया गया है।

39. यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्यायदृष्टांत **(1) योगेंद्र प्रताप सिंह विरूद्ध सावित्री पाण्डेय व अन्य क्रिमिनल अपील क्रमांक 605/2012 दिनांक 19.11.2014, (2) कन्हैयालाल व अन्य विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य व अन्य क्रिमिनल रिविजन क्रमांक 563/2006 दिनांक 16.03.2010, (3) स्नेह कौशिक विरूद्ध पंजाब राज्य व अन्य सी.आर.एम.–ए–1652/2017 दिनांक 11.02. 2020, (4) ए.एन.एस.एस. राजशेखर विरूद्ध अगस्तस जेबा अनंत क्रिमिनल अपील क्रमांक 95–96/2019 दिनांक 18.01.2019, (5) कृष्णा जनार्दन भट्ट विरूद्ध दत्तात्रय जी हेगड़े क्रिमिनल अपील क्रमांक 518/2006 निर्णय दिनांक 11.01.2008** प्रस्तुत किये हैं परंतु उपरोक्त न्यायदृष्टांतों की तथ्य एवं परिस्थितियां वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण उनका कोई लाभ आरोपी को प्राप्त नहीं होता है।

40. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर परिवादी यह प्रमाणित करने में भी सफल रहा है कि उपरोक्त अनादरण के पश्चात परिवादी द्वारा निर्धारित समयावधि में अभियुक्त को मांग का लिखित सूचना पत्र अभियुक्त के सही पते पर प्रेषित किया था एवं परिवादी यह भी प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा विहित 15 दिवस की समयावधि में राशि भुगतान में असफल होने पर परिवाद विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा प्रश्नगत चेक को विधिमान्यता अवधि में उसके बैंक में प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के खाते में राशि अपर्याप्त होने की टीप के साथ अनादृत होकर उपरोक्त चेक वापस प्राप्त हुआ था एवं परिवादी द्वारा चेक अनादृत होने पर विधिमान्यता अवधि 30 दिन

के भीतर अभियुक्त को सूचना पत्र प्रेषित किया गया एवं अभियुक्त द्वारा विहित 15 दिवस की समयावधि में राशि भुगतान में असफल होने पर परिवाद विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया। अतः विचारणीय प्रश्न कमांक 3 एवं 4 परिवादी के पक्ष में **प्रमाणित** के रूप में निष्कर्षित किये जाते हैं।

41. फलतः उपरोक्त विवेचना अनुसार **अभियुक्त गांडीवधारी पुत्र स्व. जीतू महतो आयु 52 वर्ष, व्यवसाय नौकरी निवासी–बी. 234 एन.एफ.एल. विजयपुर, तहसील राघौगढ, जिला गुना (म0प्र0)** को उस पर अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

42. परिवीक्षा के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। परिवादी के अधिवक्ता ने अभियुक्त को कठोर दंड दिये जाने का निवेदन किया, जबकि अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि यह अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धी है अतः नाममात्र के प्रतिकर से दंडित किया जावे।

43. अभियुक्त एक व्यस्क प्रज्ञावान व्यक्ति है, साथ ही अभियुक्त द्वारा कारित अपराध आर्थिक व्यवस्था के विरूद्ध है। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

44. दण्डादेश के संबंध में विचार किया गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा–138 पकाम्य लिखत अधिनियम 1881 का अपराध प्रमाणित है। प्रश्नगत चेक में वर्णित राशि 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) है। प्रकरण में प्रश्नगत चेक में वर्णित राशि एवं प्रकरण के निराकरण में लगने वाली अवधि को दृष्टिगत रखते हुए **अभियुक्त को 01 वर्ष के कठोर कारावास** से दण्डित किया जाता है।

45. अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्रदत्त चेक की राशि, दिनांक तथा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **''आर विजयन विरूद्ध बेबी एवं अन्य (2012) एक एससीसी 260''** में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के आलोक मे प्रश्नगत चेक राशि 5,00,000/–रुपये (पांच लाख रुपये) एवं उस पर चेक दिनांक से निर्णय दिनांक तक नौ प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज

1,82,875/–रुपये (एक लाख ब्यासी हजार आठ सौ पचहत्तर रुपये) जोड़ते हुए परिवादी को दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत परिवादी को बतौर **प्रतिकर 6,82,875/–रुपये (छः लाख ब्यासी हजार आठ सौ पचहत्तर रुपये)** अदा करे। अग्रेतर, न्यायदृष्टांत–**दिलीप एस.धानुकर विरूद्ध कोटक महिन्द्रा कंपनी लिमिटेड (2007) 6 एस.सी.सी.528** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अभियुक्त उक्त प्रतिकर की राशि निर्णय दिनांक से अपील अवधि के भीतर संदाय करें, अन्यथा व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को **एक माह का साधारण कारावास** अतिरिक्त भुगताया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

46. दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 359 के प्रावधानों के आलोक में परिवादी द्वारा अभियोजन पर उपगत खर्चो पर भी विचार किया जाना समीचीन हैं, जिसके अग्रसरण में अभियुक्त को निर्देशित किया जाता हैं कि वह परिवादी को उपर्युक्त वर्णित प्रतिकर की राशि के अतिरिक्त निम्नानुसार राशि/खर्च संदत्त करें–

कमांक	**मद**	**राशि**
1.	स्टाम्प शुल्क	21,000/–
2.	सूचना पत्र	1,000/–
3.	आदेशिका शुल्क	200/–
4.	अधिवक्ता शुल्क	3,000/–
5.	अन्य खर्च	1,000/–
	कुल	26,200/–

47. मद 01 लगायत 05 में वर्णित राशि प्रदान न करने की दशा में अभियुक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

48. अभियुक्त के प्रतिभूति पत्र एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त घोषित किये जाते हैं एवं अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाता है।

49. अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान बिताई गई निरोध की अवधि के संबंध में धारा–428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार कर अभिलेख के साथ संलग्न किया जावे। विचारण के दौरान निरोध में व्यतीत अवधि मूल कारावास में समायोजित की जावे।

नोट– वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त एक भी दिन न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है।

50. अभियुक्त का सजा वारण्ट दो प्रतियों में तैयार किया जावे।

51. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

52. अभियुक्त को निर्णय की प्रति धारा–363 (1) द0प्र0सं0 1973 के प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही/–
(संजीव पिपलादिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.)

सही/–
(संजीव पिपलादिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राघौगढ़, जिला गुना (म.प्र.)

SANJEEV PIPLADIYA

Digitally signed by SANJEEV PIPLADIYA
Date: 2026.02.05 16:14:58 +0530